राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– /0003/ अ–19(4) / 2020–21

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग छिन्दवाड़ा विरूद्ध वनमंडलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा, वनमंडल छिन्दवाड़ा

1	2	3
11 / 01 / 2021	प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव से प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया गया, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग छिन्दवाड़ा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 6225 / त.शा. / तन्सरा नोनीछापर / 2020–21 छिन्दवाड़ा दिनांक 07 / 12 / 2020 के माध्यम से तन्सरा से नोनीछापर मार्ग लंबाई 7.50 कि.मी. का निर्माण कार्य में प्रभावित वनभूमि 3.082 हेक्टेयर भूमि के बदले समतुल्य भूमि 3.082 हेक्टेयर या छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमि दोगुना अर्थात 6.164 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनमंडलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा वन मंडल छिन्दवाड़ा को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव द्वारा उनके राजस्व प्रकरण क्रमांक 005 / अ–19(3) / 2020–21 प्रतिवेदन दिनांक 24 / 12 / 2020 में लेख किया गया कि तहसीलदार तामिया के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम लहगडुआ प0ह0नं0 30 रा0नि0मं0 व तहसील तामिया स्थित भूमि ख0नं0 71 / 1 रकबा 53.754 हे0 मद पहाड़ चट्टान में से 3.082 हे0 राजस्व मद गैरवन संबंध में उपवनमंडलाधिकारी तामिया (सा.) के प्रतिवेदनानुसार रोपण हेतु उपयुक्त पाये जाने से तन्सरा से नोनीछापर मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित वनभूमि 3.082 हे0 भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि 3.082 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनमंडलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा को प्रस्तावित भूमि का हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन इस न्यायालय में भेजा गया है। तहसीलदार तामिया के प्रकरण क्रमांक 004 / अ–19(3) / 2020–21 प्रतिवेदन दिनांक 22 / 12 / 2020 में लेख किया गया कि उक्त आवंटन के संबंध में ग्राम पंचायत लहगडुआ की ग्राम सभा दिनांक 08 / 12 / 2020 का अनापत्ति प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। हल्का पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ग्राम की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है– 1. ग्राम का कुल रकबा 1708.416 हे0 है। 2. ग्राम के खाते का कुल रकबा 816.418 हे0 है। 3. ग्राम में चराई का कुल रकबा 17.406 हे0 है। 4. ग्राम का आबादी का कुल रकबा 2.217 हे0 है। 5. निस्तार पत्रक के अनुसार– पहाड़। 6. वर्तमान उपयोग–रिक्त है। 7. आपेक्षित भूमि पर पहाड़ी है वृक्ष लगे है। श्मशान घाट, कब्रिस्तान,	

मंदिर आदि धार्मिक स्थल होना नहीं पाये गये।

8. भूमि आवंटित करने में कोई दिक्कत नहीं है।

9. ग्राम के मकबूजा का रकबा चराई का रकबा 2.13 प्रतिशत से अधिक है।

10. उपरोक्तानुसार ग्राम लहगडुआ में प0ह0नं0 30 तहसील तामिया स्थित भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 मद पहाड़ चट्टान शासकीय दर्ज है जिसमें से 3.082 हे0 भूमि जो कि नक्शे पर लाल रोशनी से चिन्हित है को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तामिया द्वारा ग्राम लहगडुआ स्थित भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 मद पहाड़ चट्टान शासकीय दर्ज है जिसमें से 3.082 हे0 वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनमंडलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा वन मंडल को आवंटित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव के माध्यम से इस न्यायालय में भेजा गया है।

उपवनमंडलाधिकारी तामिया (सा.) तामिया द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2020/2594 तामिया, दिनांक 14/12/2020 के माध्यम से भूमि की उपयुक्तता के संबंध में लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 क्षेत्र का पटवारी के बताये अनुसार निरीक्षण किया गया। मौक पर मरूमी एवं चट्टान क्षेत्र है, जो मौके पर खाली है एवं रोपण हेतु उपयुक्त है।

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–6/11/06/10–3/2105, भोपाल दिनांक 03 जुलाई, 2008 के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अन्य भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे निर्देशित किया गया है कि **" वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जो वन भूमि विभिन्न कार्यों के लिये व्यपवर्तित की जाती है, उस भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि मे क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रावधानित किया गया है। "**

प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का मेरे द्वारा परिशीलन किया गया। प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 भूमि वर्तमान में शासकीय दर्ज है तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1967–68 में पहाड़ चट्टान मद में दर्ज होकर मिसल बंदोबस्त वर्ष 1915–16 में पहाड़ मद में दर्ज होना पाया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव एवं तहसीलदार तामिया द्वारा की गई जांच एवं

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक– /003/अ–19(4)/2020–21

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, संभाग छिन्दवाड़ा विरूद्ध वनमंडलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा, वनमंडल छिन्दवाड़ा

1	2	3
	अनुशंसा के आधार पर सहमत होते हुए ग्राम लहगडुआ प0ह0नं0 30 राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील तामिया स्थित भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 मद पहाड़ चट्टान में से 3.082 हे0 भूमि मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–6/11/06/10–3/2105, भोपाल दिनांक 03 जुलाई, 2008 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में वन विभाग (वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिन्दवाड़ा, वनमंडल छिन्दवाड़ा) को वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तांतरित की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव एवं तहसीलदार तामिया को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती की जाकर प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य वन विभाग के पक्ष में सौंपा जावे। आदेश की प्रति सर्वसंबंधितों को भेजी जावे। प्रकरण नस्तीबद्ध, जिला अभिलेखागार जमा होवे। (सौरभ कुमार सुमन) **कलेक्टर** जिला–छिन्दवाड़ा।	